P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (भारत के विशेष सन्दर्भ में एक संक्षिप्त अध्ययन)

इरसाद अली खां
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय बांगड़ महाविद्यालय,
डीडवाना, राजस्थान, भारत

सारांश

स्वतन्त्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में राष्ट्र को एकीकृत करना एवं देशी रियासतों को भारत में मिलना था, इस कार्य को श्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने बखुबी निभाया। भारत में विभिन्न भाषा, संस्कृति, जाति के लोग मिल–जुलकर रहते हैं, इस कारण भारत को विविधता में एकता वाला देश कहते हैं। भारत देश में भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, खान–पान, पहनावे, इतिहास, जीवनदर्शन, जीवनशैली, कलात्मक विशिष्टतायें अलग–अलग होते हुए भी एक है परन्तु इन विविधताओं ने भारत के अनेक क्षेत्रों के अपने विकास, अपनी अलग पहचान बनाने तथा दूसरे क्षेत्रों को कमजोर करने का दूष्चक्र चलाया, जिसके कारण आज भारत में संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी तथा साथ ही 29 राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेशों की स्थापना की गयी। राजस्थान में कहावत है कि ''कोसा पाणी बदल और 12 कोसा बोली'' के आधार क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा मिलता रहा है। भारत सरकार द्वारा बहुत कुछ करने के पश्चात् भी क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग एवं बने हुए राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता के तहत राज्यों को विशेष दर्जा के तहत मांग बढ़ती नजर आ रही है।

मुख्य शब्द : भाषीय, सूबों, रियासतों, अनुच्छेद, निरसन, अनुसूची, अनुपूरक, आनुषंगिक, केन्द्र शासित राज्य, परिशिष्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) , कोसा, पाणी, बोली इत्यादि।

प्रस्तावना

क्षेत्रवाद से अभिप्राय एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक इत्यादि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक एवं अधिक प्राप्त करने का प्रयास होता है। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा प्रान्त (प्रदेश) या राज्य की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति , विशेष आकर्षण दिखाना। इस कारण क्षेत्रीयतावाद को राष्ट्रीयता की वृहत भावना के विलोम कह सकते हैं और इससे संकुचित, स्वार्थी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। भाषावाद के सन्दर्भ में प्रो. मोरिन्स जोन्स ने लिखा है कि '' क्षेत्रवाद और भाषा के प्रश्न भारतीय राजनीति के इतने ज्वलन्त प्रश्न रहे है और भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के साथ इनका गहरा सम्बन्ध रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की सम्पूर्ण समस्या है।''

अध्ययन का उद्देश्य

स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन के आधारों में विशेष रूप से क्षेत्रवाद एवं भाषावाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस कारण शोध पत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य तय किये गये है–

1. क्षेत्रवाद एवं भाषावाद का अभिप्राय ज्ञात करना।
2. क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के कारण बने राज्यों का पुनर्गठन की व्याख्या करना।
3. राज्य पुनर्गठन आयोगों, समितियों एवं वर्षवार बनाये गये नवीन राज्यों का वर्णन करना।
4. मानचित्र के माध्यम से स्वतंत्र भारत में, 1956 में एवं वर्तमान स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास करना।
5. क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के कारण और अनेक नवीन, राज्यों को बनाने की मांग को ज्ञात करना।
6. क्षेत्रीय दलों एवं दबाव समूहों का गठन होना और आन्तरिक राजनीति में कलह पैदा करना एवं विशेष राज्यों की मांग को ज्ञात करना।
7. राज्यों के पुनर्गठन के लाभ, हानियां, कमियों को ज्ञात करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयास करना।

8. अनुच्छेद 370 को हटा कर एवं अन्य संक्रमणकालीन व्यवस्याओं को जम्मू/ कश्मीर/ लद्दाख को अलग राज्यों / केन्द्रशासित राज्यों के रूप में ज्ञात करना।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र में विशेष रूप से एवं क्षेत्रवाद तथा भाषावाद को आधार मानते हुए राज्यों के पुनर्गठन के सन्दर्भ में ज्ञात करने के प्रयास किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों में से विशेष रूप से द्वितीयक स्त्रोतों का अध्ययन, निर्देशन पद्वति के माध्यम से लिखित पुस्तकों, लेखों, वेबसाइड, शब्दकोशों एवं भारतीय संविधान एवं संशोधनों के माध्यम से एवं अनुभव के आधार पर एक संक्षिप्त व्यक्तिवृत अध्ययन स्वतंत्र भारत के परिपेक्ष्य में किया गया है।

साहित्यावलोकन

साहित्यावलोकन में विशेष रूप से डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ. कुलदीप फड़िया की पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था में विशेष रूप से तीन अध्यायों में संघीय व्यवस्था, राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रवाद, भाषावाद का उल्लेख मिलता है। (साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पूर्णतः संशोधित एवं अद्यतन संस्करण 2018, आईएसबीएन–978–93–5173–788–9, मूल्य 325/–) डॉ. गीता चतुर्वेदी की पुस्तक – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, में से भी राज्यों के पुनर्गठन, भाषावाद एवं क्षेत्रवाद का उल्लेख किया गया है(पंचशील प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण 2001, मूल्य 100/–)

स्वतंत्रता से पूर्व का इतिहास

ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों (सूबों) में बंटा हुआ था किन्तु भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के तहत मनमाने तरीके से भारत को नये सिरे से बड़े–बड़े प्रांतो में बांटा तथा बहुभाषी व बहुजातीय प्रांतों का गठन कर दिया। 1905 ई. में बंगाल विभाजन किया तथा बाद में पुनः एकीकरण कर दिया गया। 1920 के पश्चात् कांग्रेस ने अंग्रेजो द्वारा बनाये गये औपनिवेशक प्रांत की जगह खुद को ''प्रदेश'' नामक प्रशासनिक इकाई में संगठित करने का प्रयास किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई इस समिति ने भाषा, जनइच्छा, जनसंख्या भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति को राज्य के गठन का आधार माना।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्

1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियायतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल था। 27 नवम्बर 1947 में ही श्याम कृष्ण धर आयोग का गठन किया गया, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसम्बर 1948 को दी थी। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल जे.वी. पी. आयोग (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया।

भारतीय संविधान में राज्यों के सन्दर्भ में विवरण

भारतीय संविधान के भाग प्रथम में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ और उसका कार्यक्षेत्र के सन्दर्भ में दिया गया है–

अनुच्छेद **1–** संघ का नाम और राज्य क्षेत्र,

अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना,

अनुच्छेद 2(क)– निरसित (सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना) संविधान (छतीसवां संशोधन) अधिनियम,1975 की धारा 5 द्वारा (26.4.1975) से निरसित,

अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन,

अनुच्छेद 4– पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।

भारतीय संविधान की अनुसूची एक में (1) राज्य (2) संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है तथा अनुसूची चार में राज्य सभा के स्थानों का आबंटन (जिसमें अनुच्छेद 4 (1) तथा अनुच्छेद 82(2) है) को अभिव्यक्त किया गया है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक कुछ राज्यों को अलग से अस्थायी संक्रमणकालीन अवस्था के तहत सुविधाएं दी गई हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

स्वतन्त्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन

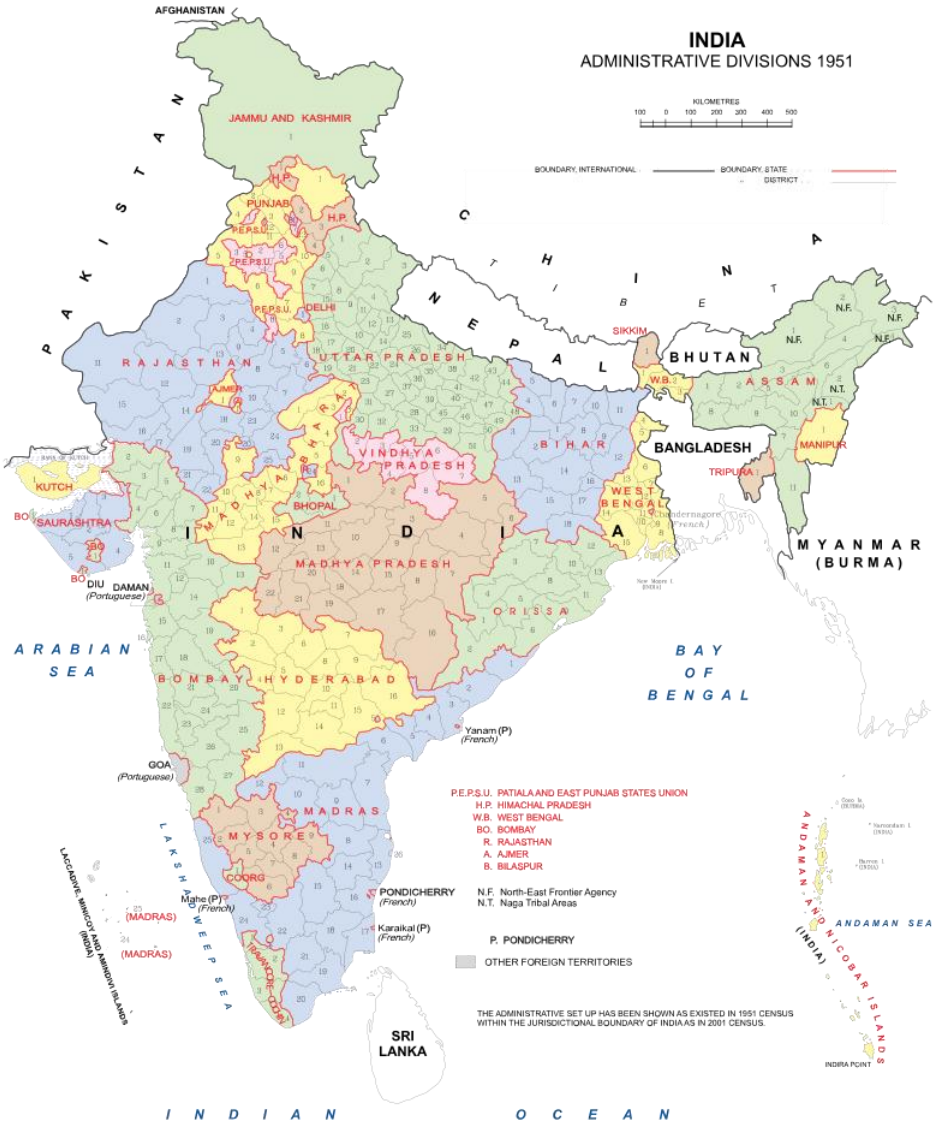

Foreign Territories	French	Portuguese
	5	3

Administrative Divisions	INDIA	Ajmer	Assam	Bihar	Bilaspur	Bhopal	Bombay	Coorg	Delhi	Himachal Pradesh	Hyderabad	Jammu and Kashmir	Kutch	Madhya Pradesh	Madras
No. of Districts	310	1	17	18	1	2	28	1	1	4	16	1	1	22	26

Administrative Divisions	Madhya Bharat	Manipur	Mysore	Orissa	Patiala and East Punjab States Union	Punjab	Rajasthan	Saurashtra	Sikkim	Travancore-Cochin	Tripura	Uttar Pradesh	Vindhya Pradesh	West Bengal	Andaman and Nicobar Islands
No. of Districts	16	1	9	13	8	13	25	5	1	4	1	51	8	15	1

स्वतंत्र भारत के तात्कालीन गृह मंत्री एवं उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल तथा उनके गृह सचिव श्री वी.पी. मेनन ने संघात्मक पुनर्रचना का कार्य किया, उनके प्रयासों से चार श्रेणीयां अस्तित्व में आयी। स्वतंत्र भारत में प्रान्तों के स्थान पर ''राज्य'' शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम श्रेणी (ए सूची)में असम, बिहार,बम्बई,मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, पश्चिम बंगाल व पंजाब सम्मिलित थे। कुछ समय पश्चात् आंध्रप्रदेश को जोड़ा गया। द्वितीय ''बी'' श्रेणी की सूची के अन्तर्गत हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा ट्रावनकोर – कोचीन विन्ध्यप्रदेश राज्यों को शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को इस श्रेणी में होते हुए भी विशिष्ट राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तृतीय ''सी'' श्रेणी की सूची में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विलासपुर, कूचबिहार, मणिपुर, त्रिपुरा को रखा गया तथा चतुर्थ ''डी'' श्रेणी में अण्डमान तथा निकोबार दीप समूह को रखा गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग, समितियां एवं वर्षवार विवरण –

जे.वी.पी. समिति की रिपोर्ट के पश्चात् मद्रास राज्य के तेलगु भाषियों ने सामाजिक कार्यकर्त्ता पोटी श्री

रामुल्लू के नेतृत्व में आन्दोलन किया तथा 15 दिसम्बर 1952 को पोटी श्री रामुल्लू ने बहुत दिनों तक अनशन करने के कारण मृत्यु हो गयी। श्री रामुल्लू की मुत्यु पश्चात् प्रधानमंत्री नेहरू ने 01 अक्टुम्बर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया तथा इसके पश्चात् 22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में तीन सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पाणिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक तथा वित्तीय, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों का पुनर्गठन का आधार बनाया गया। जो जुलाई 1956 में पास हुआ और इस प्रतिवेदन से कुछ संशोधन के पश्चात् 7 वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्यों व 5 केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गए। नवम्बर 1954 ई. में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ई. को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए, इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। 1956 ई. में क,ख,ग,घ श्रेणी के राज्य खत्म करके नए राज्य बनाये गये। 1956 के 14 राज्य निम्नलिखित प्रकार से हैं – आन्ध्र प्रदेश, असम, बम्बई, केरल, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। 1956 के 5 केन्द्र शासित राज्य निम्नलिखित प्रकार से हैं– दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान ।

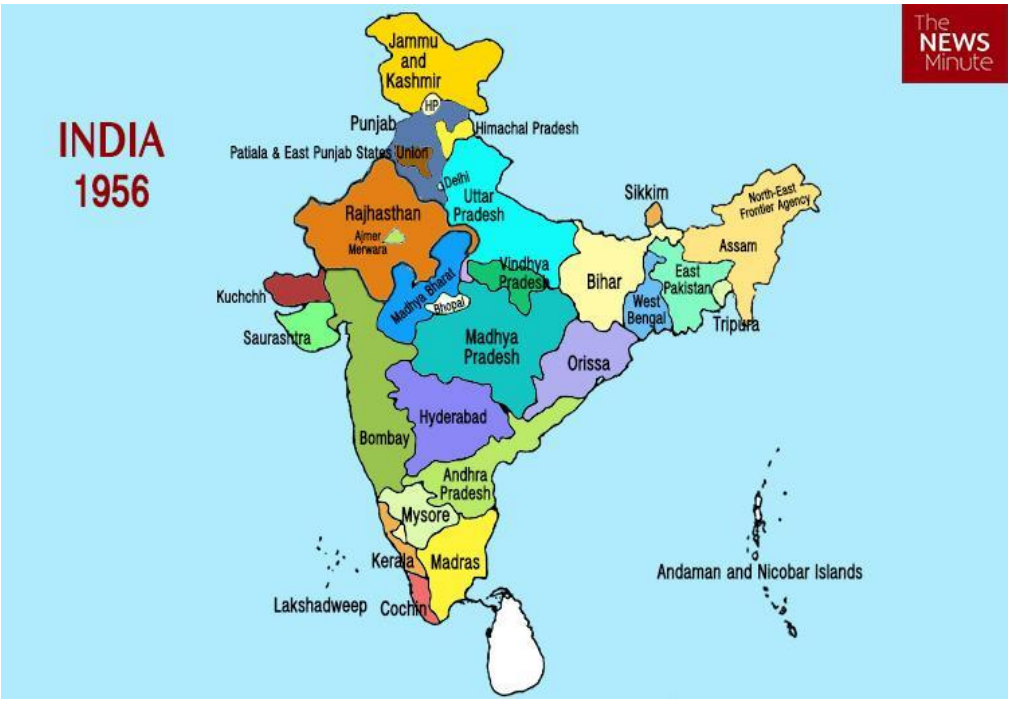

भारत सरकार ने 18 दिसम्बर 1961 ई. को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरूद्व कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया, बाहरवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में करके अभिन्न अंग बना दिया गया। इसके पश्चात् बने राज्यों की सूची निम्नानुसार है–

15 वां संविधान संशोधन के तहत भारत सरकार ने 18 दिसम्बर 1961 ई. को मराठी व गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गई।

16 वां संविधान संशोधन 1 दिसम्बर 1963 को नागा आन्दोलन के कारण असम को विभाजित करके नागालैण्ड बनाया गया।

1 नवम्बर 1966 ई. में पंजाब को विभाजित करके पंजाब(पंजाबी भाषा) एवं हरियाणा (हिन्दी भाषी) दो राज्य एवं चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।

25 जनवरी 1971 ई. को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

21 जनवरी 1972 ई. को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

35 वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहराज्य घोषित किया था, जिसे बाद में 36 वां संविधान संशोधन 26 अप्रेल 1975 ई. को सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया।

20 फरवरी 1987 में मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

30 मई 1987 ई. में गोवा को 25 वां राज्य का दर्जा दिया गया।

69 वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली कर दिया गया।

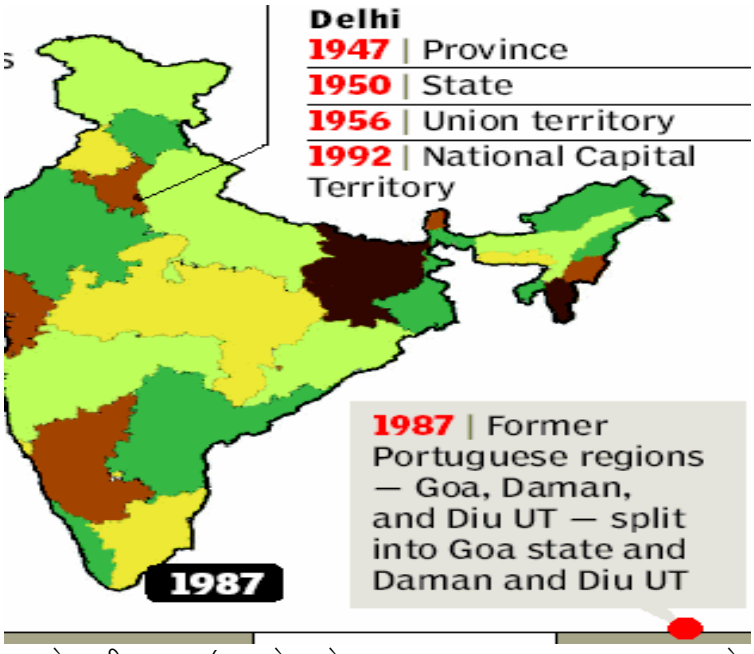

1 नवम्बर 2000 को छतीसगढ़ (मध्यप्रदेश से अलग करके) 26 वां राज्य, 09 नवम्बर 2000 में उत्तरांचल (उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश से अलग करके) 27 वां राज्य, 15 नवम्बर 2000 को झारखंड (बिहार से अलग करके) 28 वां राज्य बनाया गया।

02 जून 2014 को तेलंगाना (आन्ध्रप्रदेश से अलग करके) को भारत का 29 वां राज्य बनाया गया है। भारत में अब कुल 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश निम्नलिखित प्रकार से हैं–

राज्य के नाम

अरूणाचल प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	असम	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा
कर्नाटक	केरल	गुजरात	गोवा	जम्मू एवं कश्मीर
तमिलनाडू	नागालैण्ड	पंजाब	पश्चिम बंगाल	बिहार
महाराष्ट्र	मणिपुर	मध्यप्रदेश	मिजोरम	मेघालय
राजस्थान	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	सिक्किम	तेलंगाना
त्रिपुरा	छतीसगढ़	उत्तरांचल	झारखंड	

केन्द्र शासित प्रदेश

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	चण्डीगढ़	दमन व द्वीप	दादेराव नागर हवेली
लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	दिल्ली	

राज्य पुर्नगठन से लाभ

1. राष्ट्रीय एकीकरण में बढ़ोतरी।
2. विवादों का समाधान होना।
3. भाषायी आधार पर गठन से राज्य एवं देश भक्ति में वृद्वि
4. शिक्षा के विस्तार में भाषा का महत्व एवं इससे जनता में जागरूकता का विकास होना।
5. क्षेत्र विशेष के विकास में महत्ती भूमिका।

राज्य पुर्नगठन से हानियां

1. राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के विकास में बाधक।
2. प्रान्तीयता की भावना का प्रबल होना।
3. भाषा के आधार पर नये राज्यों की मांग।
4. राज्यों की अधिक स्वायत्तता की मांग।
5. राष्ट्रीय एकता में बाधक।
6. छोटे–छोटे प्रांतो का गठन होना।
7. क्षेत्रीयता की भावना के कारण क्षेत्रीय नेताओं की महत्वकांक्षाओं में वृद्वि होना।

निष्कर्ष

भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण सातवां एवं जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा स्थान रखता है तथा साथ यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां , क्षेत्रीयता, प्रथाएं, अनेक धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण के हिसाब से वर्तमान में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। राजनीतिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से एवं राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से तथा आन्तरिक सुरक्षा एवं शांति के वजह से हमें राज्यों का पुनगर्ठन एक नवीन तकनीक से करना चाहिए, जिससे की भारत का संघीय ढांचा और मजबूत हो तथा आर्थिक विकास समान रूप से हो सके तथा राज्यों की आन्तरिक सुरक्षा में सुगमता हो सके। 1956 ई. में जनसंख्या के हिसाब से 14 राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित राज्यों का गठन किया गया था, वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने के कारण एवं अनेक क्षेत्रीयता विषमताओं को दूर करने के लिए राज्यों की संख्या में बढोतरी की जानी चाहिए। एक राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल परिधि मध्य से 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा जनसंख्या की दृष्टि से 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें महानगरों को अलग से केन्द्र प्रशासित राज्य बना देना चाहिए तथा 1 करोड़ से कम जनसंख्या के क्षेत्र को यदि वह किसी कारण से भाषायी या क्षेत्रीय आधार पर अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें भी केन्द्र प्रशासित राज्य घोषित कर देना चाहिए।

संविधान में कुछ राज्यों को अलग से कुछ अधिक सुविधाएं दी गई है जैसे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू–कश्मीर को उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटा देना चाहिए अर्थात् संविधान निर्माण के पश्चात् इन सुविधाओं का लाभ ले चुके, कुछ समय बाद हटा देने वाले उपबन्धों को तुरन्त हटा देना चाहिए अर्थात् संविधान के भाग 21 को निरसन कर देना चाहिए। जिसमें विशेष रूप से 370 अनुच्छेद है। जम्मू कश्मीर को तीन भागों में बांट देना चाहिए और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलने के लिए विश्व पटल पर भारत का मजबूत पक्ष रखकर मिला लेना चाहिए। इसी प्रकार से चीन अधिकृत भारत के हिस्से को भी भारत में मिलने का प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान में अनेक नये राज्यों की मांग की जा रही है, अतः केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम राज्यों के पुनगर्ठन के तहत 50 से 60 राज्यों का गठन करना चाहिए तथा महानगरों को केन्द्र प्रशासित राज्य बनाना चाहिए। इसके लिए सरकारों को सभी राज्यों की सरकारों से प्रस्ताव मांगने चाहिए और उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। जिससे पूरे भारत का समान रूप से विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *मोरिन्स जोन्स– भारतीय शासन एवं राजनीति (अनुवाद)।*
2. *डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ. कुलदीप फड़िया ''भारतीय राज व्यवस्था''।*
3. *डॉ. गीता चतुर्वेदी ''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था''।*
4. *भारतीय संविधान के भाग प्रथम तथा भाग 21 एवं पहली तथा चौथी अनुसूची।*
5. *India Administartive Divisions, 1951 का मानचित्र।*
6. *The New Minutes, India, 1956 का मानचित्र।*
7. *https;// hi.wikipedia.org/w/index.php?title नाम की व्युत्पति के आधार पर भारत के राज्य oldid=3335105 से लिया गया। अन्तिम परिवर्तन 07:37, 2 फरवरी 2017*